संख्या– 425/अठ्ठासी–2010–129खा/08

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2010

विषयः– जनपद के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य नमूनों लेने हेतु **'कोड स्लिप'** निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4466/पॉच–8–08–129खा/08, दिनांक 20.12.08 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–4 में जनपद के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य नमूना लेने हेतु कोड स्लिप निर्गत करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को अधिकृत किया गया था।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–83/88–2010–129खा/08टी0सी0, दिनांक 19.01.2010 द्वारा जनपद के सिटी मजिस्ट्रेट, या उनके न होने पर जिलाधिकारी द्वारा नामित उप कलेक्टर को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है। अतएव शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जनपद में खाद्य नमूना लेने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम–16 के अन्तर्गत आवश्यक 'कोड स्लिप' स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थान पर, उक्त अधिसूचना दिनांक 19.01.2010 द्वारा अधिसूचित स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा ही निर्गत किया जायेगा।

3– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–454 (1)/अठ्ठासी–10–तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभियुक्ति सहित कि वे कृपया इस आदेश की प्रति समस्त स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, उ0प्र0 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
4– जन विश्लेषक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0।
5– समस्त स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0के0द्विवेदी)
विशेष सचिव।